भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1723

10 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

राजस्थान में एनएफएसए

1723. श्रीमती संजना जाटव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2021 के अन्तर्गत लाभार्थियों के प्रतिशत की समीक्षा, विशेषकर राज्य सरकार के 2021 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर कवरेज सीमा को संशोधित करने और 4.46 करोड़ लाभार्थियों की पूर्व अधिकतम सीमा को 15 प्रतिशत बढ़ाने के अनुरोध के दृष्टिगत, करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा यह समीक्षा कब तक पूरी होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) की धारा 9 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवरेज का प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और राज्य में कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या की गणना उस जनगणना के जनसंख्या अनुमानों के आधार पर की जाएगी, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं। इसलिए, एनएफएसए के अंतर्गत कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होने के बाद ही संभव होगा।

...2/-

इस अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) के अनुसार, राज्य सरकारों को धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अंतर्गत निर्धारित व्यक्तियों की संख्या के भीतर पात्र परिवारों की सूची को अद्यतन करना आवश्यक है। इस संबंध में, केंद्र सरकार ने समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने हेतु समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करने के लिए परामर्श जारी किए हैं। राज्य अपने लाभार्थी डाटाबेस को अद्यतन करने का कार्य करते हैं ताकि अपात्र राशन कार्डों को हटाया जा सके और सही लाभार्थियों का उचित लक्ष्यीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) राजस्थान सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य की 69.09% ग्रामीण आबादी और 53.00% शहरी आबादी को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जो जनगणना 2011 के अनुसार 446.62 लाख व्यक्तियों के बराबर है।

वर्तमान में, राजस्थान राज्य ने इस अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 446.62 लाख लाभार्थियों की अभीष्ट कवरेज की तुलना में 440.01 लाख लाभार्थियों की पहचान की है। अभी भी, राजस्थान राज्य में एनएफएसए के अंतर्गत 6.61 लाख और लाभार्थियों की पहचान की गुंजाइश है।

*****